भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3123

गुरुवार, दिनांक 03 अगस्त, 2017 को उत्तर देने हेतु

<u>बायो गैस और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन</u>

3123. श्री पिनाकी मिश्राः

डॉ॰ उदित राजः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या खाना बनाने, ताप और अन्य प्रयोजनार्थ बायो-गैस और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे लोगों को कोई वित्तीय या अवसंरचनात्मक सहायता दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बायो-गैस के उत्पादन हेतु ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की खाना पकाने, तापन, रोशनी, लघु विद्युत और तापीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबन्धन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी), बायोगैस विद्युत (ऑफ-ग्रिड) उत्पादन कार्यक्रम (बीपीजीपी), बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम, उन्नत चूल्हा अभियान (यूसीए) कार्यक्रम और सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) एनबीएमएमपी के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जा रही है जो बायोगैस संयंत्र के आकार, क्षेत्र और लाभार्थी की श्रेणी पर निर्भर करते हुए प्रति बायोगैस संयंत्र 5,500/- रु. से लेकर 17,000/- रु. अलग-अलग है। बीपीजीपी के अंतर्गत सीएफए बायोगैस संयंत्र की क्षमता और बायोगैस के उपयोग पर निर्भर करते हुए 15,000/- रु. से 40,000/- रु. प्रति किलोवाट

अलग-अलग दी जाती है; यूसीए कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को आकार और उपयोगकर्ता की श्रेणी पर निर्भर करते हुए प्रति कुक स्टोव 300/- रु. से लेकर 4,000/- रु. तक सीएफए प्रदान किया जाता है। बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अंतर्गत 2,500/- रु. से लेकर 15,000/- रु. प्रति किलोवाट अलग-अलग सीएफए प्रदान किया जाता है जो इसके उपयोग और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है।

(घ) राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबन्धन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में बायोगैस उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत परिवारों के लिए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। एनबीएमएमपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है। बायोगैस विद्युत उत्पादन (ऑफ-ग्रिड) कार्यक्रम (बीपीजीपी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में तापीय विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु गोबर, वनों से प्राप्त अपशिष्ट, ग्रामीण आधारित उद्योगों से प्राप्त अपशिष्ट, रसोईघरों के अपशिष्ट आदि जैसे अपशिष्ट की उपलब्धता के आधार पर 25 घन मीटर से 2500 घन मीटर की क्षमता श्रेणी में विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र संस्थापित किए जाते हैं। बीपीजीपी के अंतर्गत प्रदान की जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे अनुलग्नक-II पर दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

'बायो गैस और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.08.2017 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3123 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

देश में राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी का ब्यौरा (12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार)-

क्र.सं.	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) तथा राज्यों/क्षेत्रों और श्रेणियों का ब्यौरा	एनबीएमएमपी के अन्तर्गत परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र (प्रति दिन 1 से 6 घन मीटर क्षमता)	
क.	केन्द्रीय राजसहायता की लागू दरें (रु. में)	1 घन मीटर	2-6 घन मीटर
		केन्द्रीय राजसहायता की लागू दरें (रु. में)	
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, सिक्किम (असम के मैदानी भागों को छोड़कर) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोगों सहित	15,000	17,000
2	असम का मैदानी क्षेत्र	10,000	11,000
3	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु का नीलगिरि क्षेत्र, दार्जलिंग के सदर कर्सियांग और कालिम्पोंग सब-डिवीजन, सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	7,000	11,000
4	ऊपर क्रम सं. 3 पर दिए गए ब्यौरे के अनुसार सिक्किम तथा अन्य पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	7,000	11,000
5	अन्य सभी	5,500	9,000

अनुलग्नक-।।

'बायो गैस और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.08.2017 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3123 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-।।

बायोगैस विद्युत (ऑफ-ग्रिड) परियोजना की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) पैटर्न

विद्युत उत्पादन क्षमता	बायोगैस संयंत्र क्षमता	डीपीआर की आवश्यकता	सीलिंग के अनुसार अथवा प्रणाली के लागत के 40 प्रतिशित तक सीमित सीएफए सब्सिडी, जो भी कम हो		तकनीकी निरीक्षण, प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए और परियोजना पूरी होने तथा सफल संचालन की मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य नोडल विभाग/एजेंसियाँ बीडीटीसी को प्रशासनिक शुल्क	
			विद्युत उत्पादन	थर्मल अनुप्रयोग	विद्युत उत्पादन	थर्मल अनुप्रयोग
3-20 किलोवाट	25 घन मीटर से 85 घन मीटर	डीपीआर की आवश्यकता नहीं	40,000/- रु. (चालिस हजार रु. मात्र) प्रति किलोवाट	20,000/- रु. (बीस हजार रु. मात्र) प्रति किलोवाट के समकक्ष	सीएफए का 10 प्रतिशत	सीएफए का 5 प्रतिशत
>20 किलोवाट से 100 किलोवाट तक	उपर्युक्त संयंत्रों का कोई मिश्रण अथवा अनुमोदित वैकल्पिक क्षमता/डिजाइन	डीपीआर की आवश्यकता	35,000/- रु. (पैंतीस हजार रु. मात्र) प्रति किलोवाट	17,500/- रु. (सत्रह हजार पांच सौ रु. मात्र) प्रति किलोवाट के समकक्ष	1,00,000/- रु.	50,000/- रु.
>100 किलोवाट से 250 किलोवाट तक	उपर्युक्त संयंत्रों का कोई मिश्रण अथवा अनुमोदित वैकल्पिक क्षमता/डिजाइन	डीपीआर की आवश्यकता	30,000/- रु. (तीस हजार रु. मात्र) प्रति किलोवाट	15,000/- रु. (पन्द्रह हजार रु. मात्र) प्रति किलोवाट के समकक्ष	1,50,000/- रु.	75,000/- रु.

*****